

न्यायालय राजस्व मंडल ज्वालियर म.प्र

Rs. 9261- II 16

प्र.क्र. 340/16

9401 -



ठाकुर लाल पुत्र
तारन सिंह उम 45 निवासी गांव डाही
तहसील डोलारस जिला शिवपुरी
बनाम

शिवपुरी रेस्टोरेशन आवेदन

शामरतन पुत्र-मदनसिंह
निवासी डाही तहसील डोलारस
जिला शिवपुरी

महोदय,

दिनांक 23.11.16 को,
श्री दिनेश शर्मा,
काया कर्तुल।

थट कि, दिनांक 20/11/16 प्राचीन पुकरण सुनवाई

हेतु निमत भां; चुंकि, उपरोक्त दिनांक को रविवार भवकाश

होने की वजह से पुकरण 21/11/16 सोमवार को सुनवाई हेतु

माननीय न्यायालय के समक्ष रखा गया था।

586
23.11.16

थट कि, उपरोक्त दिनांक को अतिआपक माननीय उच्च

न्यायालय में व्यस्त होने के कारण से माननीय न्यायालय के समक्ष
उपस्थित नहीं हो सके, जिस कारण अतिआपक की अनुपस्थित
होने से पुकरण⁹⁴⁰ को खारिज कर दिया गया

अतः माननीय न्यायालय से विवेदन है

कि, न्याय के हित को देखते हुए पुकरण को पुनः रिकॉर्ड पर
लेजाने की कृपा करें। ताकि, पुकरण का निराकरण गुण-सेव
पर दिया जा सके।

प्राची

ठाकुर लाल

कारा - अतिआपक

विवेक व्यास


22/11/16

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक रेस्टो 9261-दो/16

जिला -शिवपुरी

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषको के हस्ताक्षर
28.11.16	<p>आवेदक के अधिवक्ता श्री विवेक व्यास उपस्थित। उनके द्वारा रेस्टो 0 आवेदन पर तर्क कर कहा कि वह माननीय उच्च न्यायालय में व्यस्त होने के कारण प्रकरण में उपस्थित नहीं हो सके। अतः आवेदक अधिवक्ता का आवेदन स्वीकार कर प्रकरण क्रमांक निगरानी 940-तीन/16 में किया गया आदेश दिनांक 21. 11.16 को पुनः नंबर पर लिया जावे।</p> <p>2- आवेदक अधिवक्ता का निवेदन स्वीकार किया जाता है तथा प्रकरण क्र 0 निग 0 940-तीन/16 पुनः नंबर पर लिये जाने के आदेश दिये जाते हैं। यह रेस्टो 0 आवेदन स्वीकार कर निराकृत किया जाता है।</p>	 सदस्य

